(राजस्थान सरकार)

# न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी
प्रकरण संख्या : 60/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 23.07.2025

निर्णय दिनांक : 23.09.2025

1. फल्लूराम पुत्र भूराराम जाट, निवासी प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान,
2. श्योराम पुत्र घीसाराम,
3. हंसा पत्नी रतिराम,
   समस्त जातियान जाट, निवासी प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

.....अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुरेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री सुबेसिह यादव अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 की ओर सें।

## निर्णय

दिनांक–23.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए बअनुवानी श्योराम वगै0 बनाम फल्लूराम वगै0, प्रकरण संख्या 09/2023 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी पावटा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सुबेसिंह यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर सीधी बहस करने हेतु निवेदन किया।
3. वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर. टी.एक्ट, अनुवानी श्योराम वगैरह बनाम फल्लूराम वगैरह मुकदमा नम्बर 09/2023 विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1570/1 वाके मौजा प्रागपुरा तहसील पावटा जिसमें से रास्ता काटे जाने के लिये अप्रार्थीगण ने अनुतोष मांगा है उक्त खसरा नम्बर में कहीं पर भी रास्ते की भूमि नही है, ना ही उक्त खसरा नम्बर से कोई रास्ता जा रहा है, ना ही प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर से आते जाते है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार पावटा द्वारा रिपोर्ट रिकार्ड की मांगी गई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अपूर्ण एवं असत्य व मौके के विपरित रिपोर्ट पेश की है जबकि मौके पर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1574, 1573, 1576 में आने जाने का रास्ता पूर्व से मौजूद है जिससे होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि में आते जाते है। पक्षकारान विपक्षी मौके पर ऐलानियां कह रहे है कि हमने उपखण्ड अधिकारी पावटा, तहसीलदार व पटवारी गिरदावर से सांठ गांठ कर ली है और अब तुम्हारी भूमि में से जबरन रास्ता निकालेगे व उक्त प्रकरण तुम्हारे विरूद्ध निर्णित करवायेगे व हमारी उपखण्ड अधिकारी पावटा से हमारे पक्ष में निर्णय करने के लिये बात हो गई है। अप्रार्थीगण भूमाफिया है व संख्या बल बहुबल एंव धनबल युक्त है और उनके द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

ऐसी ऐलानियां धमकी देने से प्रार्थी को यह आभास हो गया है कि प्रार्थी को न्याय प्राप्त नही होगा। न्याय होने के लिये न्याय की यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारो को यह प्रदर्शित होना चाहिये कि उन्हे न्याय प्राप्त होगा, यदि पक्षकारो को न्याय नही प्राप्त होने का अंदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना विधि अनुरूप व न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट, अनुवानी श्योराम वगैरह बनाम फल्लूराम वगैरह मुकदमा नम्बर 09/2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा को अन्यत्र किसी भी सक्षम अधिकारी के न्यायालय में मुन्तलिक किये जाने की कृपा करे।

5. वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मंगढनत एवं झूठे तथ्यों के साथ पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थी को परेशान करने तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा में विचाराधीन प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत् सूनवाई करते हुए कार्यवाही जैरकार है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करें।

6. उपखण्ड अधिकारी पावटा ने पत्रांक कोर्ट/2025/367 दिनांक 29.07.2025 के द्वारा बिन्दूवार टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप मनगढंत, निराधार व तथ्यहीन है। प्रकरण के निस्तारण हेतु विधिवत् कार्यवाही जैरकार है। यदि उक्त प्रकरण को किसी दिगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

7. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने पर जाहिर है कि वकील प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। वकील प्रार्थी को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़